158

III/निगरानी/अशोकनगर/22-रा/2017/1855

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–गुना

हल्की बाई पत्नी बनवीर सिंह रघुवंशी
निवासी – ग्राम मोहरी सोनेरा तहसील
व जिला – अशोकनगर (म.प्र.)
..... आवेदिका

विरूद्ध

1– तुरसाबाई पत्नी मोहन सिंह रघुवंशी
निवासी– बरोद तहसील–आरोन
जिला–गुना (म.प्र.)
2– गुड्डी पत्नी रामकृष्ण रघुवंशी
निवासी – ग्राम मोहरी सोनेरा तहसील
व जिला – अशोकनगर (म.प्र.)
3– बनवीर सिंह पुत्र श्री अमोल सिंह
रघुवंशी निवासी – मोहरी राय
तहसील व जिला – अशोकनगर
(म.प्र.)
.....अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत–2 कचनार तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदिका क्रमांक 1 तुरसा बाई द्वारा ग्राम मोहरी सोनरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 186/1 रकवा 0.282 है0, 251/1 रकवा 0.387 है0, 279/2 रकवा 1.129 है0, 296, 298 रकवा 0.115 है0, 297 रकवा 0.031 है0, 307 रकवा 0.167 है0, सर्वे क्रमांक 314 रकवा 0.240 है0, 319 रकवा 0.031 है0, 333/2 ख रकवा 0.042 है0, सर्वे क्रमांक 333/2ख रकवा 337 रकवा 0.251 है0, 352/1च रकवा 0.518 है0 कुल किता 12 कुल रकवा 3.193 है0 भूमि में से 1/4 हिस्से की मांग अनावेदिका द्वारा की गयी थी। जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–27/2015–16 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा / 2017 / 1855

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
252.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त–2 कचनार जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 17 / अ–27 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.05.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 13 / 05 / 19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 13 / 5 / 19 **कलेक्टर जिला अशोकनगर** सदस्य	